



# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

E-mail: dfonainital@gmail.com

Telefax.05942-236790

पत्रांक:- 974

/3-1(विज्ञापन) दिनांक 07/10/2022

## अल्पकालीन निविदा सूचना

महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न कार्यो हेतु पृथक-पृथक मोहर बन्द निविदाये (जी0एस0टी0 सहित) दिनांक 17.10.2022 को अपराहन 4:30 बजे तक केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/से आंमत्रित की जाती है। निविदा के साथ बन्धक धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर की एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 जो प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के नाम निरूपित (Pledge) हो संलग्न करना अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र दिनांक 17.10.2022 तक निर्धारित शुल्क जमा कर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किये जा सकते है। यह निविदा दिनांक 18.10.2022 को पूर्वाहन 11:00 बजे प्रभाग स्तरीय निविदा समिति द्वारा खोली जायेगी। निविदा खुलते समय निविदादाता चाहे तो स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। निविदा प्रपत्र के साथ रू0 100.00 का नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर जिस पर ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षरयुक्त रू0 1.00 का रसीदी टिकट लगा हो, निविदा की शर्तों की मंजूरी के साथ लगाना अनिवार्य है। निविदा की शर्तों का अवलोकन किसी भी कार्यदिवस में प्रभागीय कार्यालय अथवा सम्बन्धित रेंज कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाईट [www.forest.uk.gov.in](http://www.forest.uk.gov.in) पर किया जा सकता है।

टेण्डरदाता निम्नलिखित विवरण को ध्यान पूर्वक पढ़कर व कार्य को मौके पर समझकर टेण्डर दें :-

क्र. सं.	जिला योजना वन संचार साधन के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य का विवरण	मात्रा (मी0) लम्बाई	अनुमानित धनराशि (रू0)	धरोहर राशि (रू0)	स्वीकृत निविदादाता की कुल जमानत राशि (कुल लागत का 10%)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2		3	4	5	6	7
1	वन मार्ग में कूड़ा खड्ड से तल्ला कृष्णापुर तक वन मार्ग का पुनर्निर्माण कार्य	1500 मी0	15,00,000.00	30,000.00	1,50,000.00	2000 + 18% जी0एस0टी0	45 दिन

### निविदा की शर्तें निम्न प्रकार है :-

- 1- निविदादाता द्वारा निविदा दो लिफाफों में प्रेषित की जायेगी। प्रत्येक लिफाफो के बाहर (सिविल कार्य हेतु निविदा) स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिये। एक लिफाफे में निविदा से सम्बंधित मांगे गये समस्त आवश्यक अभिलेख एवं दूसरे लिफाफे में निर्माण कार्य हेतु दर सूची (Rate List) प्रेषित किये जायेगे।
- 2- निविदा गोल ठेके पर दिया जाय और उसमें स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि निविदादाता कार्य की अनुमानित धनराशि से कितने प्रतिशत कम या अधिक पर कार्य करने को तैयार है। सशर्त डाली गई निविदा रद्द समझी जायेगी। निविदा स्वीकृत हो जाने के बाद निविदा नोटिस में दी गई शर्तों में किसी प्रकार का भी बदलाव नहीं किया जायेगा। ठेकेदार/फर्म सम्बन्धित निविदा की दरें उस समय सरकार द्वारा समस्त देयकों जैसे कि-जी0एस0टी0 आदि करों सहित ही दी जायेगी।
- 3- निविदा पंजीकृत डाक/कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल में स्थित निविदा पेटिका में जमा कर सकते है।
- 4- निविदा प्रपत्र जमा करने से पूर्व निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि, वह राजि स्तर से अनुमति उपरान्त कार्य स्थल का भ्रमण कर कार्य के प्रकार, स्थानीय परिस्थितियों आदि का भली प्रकार अध्ययन कर निविदा की दर सूचित करें। एक बार निविदा की दर सूचित करने पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन/बढ़ोत्तरी स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 5- सक्षम अधिकारी, प्राप्त न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होंगे तथा बिना कारण बताये किसी भी निविदा या सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।

- 6- प्राप्त होने वाले निविदा में सफल निविदा की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा की जायेगी। निविदा स्वीकृति के पश्चात, बजट की उपलब्धता के आधार पर ठेकेदार को कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
- 7- ठेकेदार को कार्यों हेतु टी0ए0सी0 के द्वारा कार्यों के लिए स्वीकृत/अनुमोदित दरों के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति के आधार पर ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। यदि टी0ए0सी0 अथवा वित्तीय स्वीकृति में कार्य की लागत कम हो जाती है तो तदनुसार ही भुगतान किया जायेगा।
- 8- कार्यादेश निर्गत होने से पूर्व ठेकेदार द्वारा निविदा की कीमत का 10 प्रतिशत धनराशि जमानत के रूप में जमा करना होगा व कार्यादेश के पश्चात प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करके कार्य तीन दिन के अन्दर प्रारम्भ करना होगा, ऐसा न करने पर धरोहर राशि एवं जमानत की धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।
- 9- निर्माण कार्य प्राक्कलन में दिये गये कार्य विवरण के अनुसार करना होगा।
- 10- प्राक्कलन के अतिरिक्त कोई भी कार्य बिना प्रभागीय वनाधिकारी की लिखित आज्ञा से किया गया तो उसका भुगतान करने के लिये वन विभाग बाध्य नहीं होगा। यदि कोई अतिरिक्त कार्य उनकी लिखित आज्ञा से कराया जाता है तो उसका भुगतान निविदा में स्वीकृत दर के अनुसार किया जायेगा। कार्य की मात्रा में कमी या वृद्धि प्रभागीय वनाधिकारी की अनुमति से हो सकती है।
- 11- कार्य को कार्यादेश की तिथि से निविदा की तालिका के अनुसार दी गई अवधि में प्रत्येक दशा में पूर्ण करना होगा। कार्य करने हेतु अवधि विस्तार प्रदान नहीं किया जायेगा। अगर प्रभागीय वनाधिकारी सहमत हो तो विशेष परिस्थिति में अवधि विस्तार कर सकते हैं।
- 12- कार्य की गुणवत्ता उच्च कोटी की होनी चाहिए। गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्य को धवस्त किया जा सकता है, जिसे ठेकेदार को अपने खर्च पर पुनः पूर्ण करना होगा या फिर गुणवत्ता में कमी के अनुसार ठेकेदार के भुगतान से उचित कटौती की जायेगी, जिसका आंकलन प्रभाग स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जो कि निविदादाता को पूर्णतया मान्य होगा। यदि समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो जमानत जब्त कर ली जायेगी।
- 13- कार्य का निरीक्षण समय-समय पर प्रभागीय वनाधिकारी, उप प्रभागीय वनाधिकारी अथवा रेंज अधिकारी या प्रभाग द्वारा अधिकृत अधिकारी जो भी इस कार्य के लिये नियुक्त होंगे, द्वारा किया जायेगा और उनके निर्देशानुसार ठेकेदारों को सम्पूर्ण कार्य प्राक्कलन के अनुसार गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण करने होंगे।
- 14- ठेकेदार को समय-समय पर भुगतान (Running Payment) विभागीय एम0बी0 की प्रविष्टि के आधार पर तथा बजट की उपलब्धता एवं प्रभागीय वनाधिकारी के विवेकानुसार किया जायेगा। कार्य का पूर्ण भुगतान सक्षम अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने के बाद तथा कार्य पूर्णतः सन्तोषजनक पाये जाने पर ही किया जायेगा।
- 15- ठेकेदार अपने स्वीकृत कार्य का कोई भी भाग दूसरे ठेकेदार को नहीं दे सकता। ऐसे अवैधानिक ठेके किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- 16- ठेकेदार द्वारा कार्य समाप्त होने पर कार्य स्थल पर जमा मलवा, अत्यधिक सामग्री का ढेर आदि कार्य प्रभारी एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार निस्तारित करना होगा। ऐसा न किये जाने पर उक्त कार्य सम्बन्धित रेंज अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा उक्त कार्य में हुए व्यय को ठेकेदार की जमा जमानत से काट लिया जायेगा।
- 17- ठेकेदार को भुगतान करते समय सरकारी ओदशों के अनुसार जी0एस0टी0, आयकर, स्टॉम्प शुल्क एवं रॉयल्टी आदि की नियमानुसार कटौती की जायेगी। ठेकेदार को भुगतान कर देने के पश्चात भी यदि कोई राजकीय कर की देयता ज्ञात होती है तो ठेकेदार इस कर/देयता को जमा करने के लिये बाध्य होगा।
- 18- विभाग कोई सामग्री ठेकेदार को देने के लिए बाध्य नहीं होगा।
- 19- ठेकेदार को वन क्षेत्र की नदियों से निर्माण सामग्री जैसा पत्थर, रेत व रोड़ी आदि चुगान की अनुमति नहीं दी जायेगी। उक्त सामग्री ठेकेदार द्वारा स्वयं बाजार से क्रय कर ई-रवन्ना के माध्यम से लानी होगी। प्रयुक्त की जानी वाली सामग्री (आर0बी0एम0/रेता/पत्थर/रोड़ी इत्यादि) की रॉयल्टी तथा ई-रवन्ना प्रभागीय कार्यालय में जमा करने होंगे। यदि ठेकेदार सामग्री का स्वयं अपने व्यय पर प्रबन्ध करे तथा उक्त सामग्री का ई-रवन्ना प्रभागीय कार्यालय में न जमा करे तो ऐसी स्थिति में उक्त सामग्री की रॉयल्टी ठेकेदार को किये जाने वाले भुगतान से काट ली जायेगी।
- 20- यदि ठेकेदार द्वारा उक्त निर्माण सामग्री को अवैध रूप से वन क्षेत्र की नदियों से लाया जाता है तो विभागीय वैधानिक कार्यवाही के साथ-साथ सामग्री के मूल्य का भुगतान नहीं किया जायेगा, जिसकी ठेकेदार को किये जाने वाले भुगतान से कटौती की जायेगी।
- 21- 10 प्रतिशत जमानत की धनराशि कार्य के अन्तिम भुगतान के एक वर्ष बाद अवमुक्त की जायेगी। अगर इस एक वर्ष के अन्तराल में किये गये कार्य की गुणवत्ता में कोई कमी पाई जाती है तो उसे ठेकेदार को अपने व्यय पर ठीक करना होगा, जिसके लिए ठेकेदार को विभाग द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा। ऐसा न

करने पर जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी, इसके साथ ही ठेकेदार को काली सूची में भी डाला जा सकता है।

- 22- वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों की किसी प्रकार से अवहेलना न हो।
- 23- ठेकेदार को निर्माण कार्य के दौरान वन्य जीवों की सुरक्षा तथा वन सम्पदा का ध्यान रखना होगा तथा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 तथा वन अधिनियम 1927 तथा अन्य Forest Laws का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- 24- अपूर्ण निविदा प्रपत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे और यह स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
- 25- निविदा प्रपत्र की कीमत किसी भी प्रकार से न तो वापस की जायेगी और न ही किसी दूसरी निविदा प्रपत्र के विरुद्ध समायोजित की जायेगी।
- 26- निविदादाता को निविदा में अपना पूरा नाम, पता, पिता का नाम, दूरभाष संख्या आदि अंकित करना अनिवार्य होगा। दिये गये पते पर पोस्टल डाक द्वारा प्रेषित पत्र प्राप्त न होने पर यह कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
- 27- निविदा एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पर मान्य नहीं होगी।
- 28- ठेकेदार का जी०एस०टी० पंजीकरण तथा आयकर पंजीकरण एवं जिला पंचायत कार्यालय में पंजीकरण होना अनिवार्य है।
- 29- प्रत्येक स्वीकृत निविदा हेतु निविदादाता को निविदा में अंकित पते पर डाक द्वारा निविदा स्वीकृति की सूचना कार्य आदेश के रूप में प्रेषित की जायेगी। ऐसे पत्र के निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर निविदादाता को रू० 100/- के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र (एग्रीमेन्ट) निष्पादित करना होगा तथा ऐसा न करने पर उसके निविदा की स्वीकृति को समाप्त समझा जायेगा व जमा निविदा प्रतिभूति को वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में अपहृत कर लिया जायेगा। उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा एग्रीमेन्ट निष्पादन की निर्धारित तिथि से 10 दिन की छूट दी जा सकती है परन्तु इस हेतु रू० 500 (रू० पाँच सौ) मात्र प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।
- 30- कार्य से जुड़े ठेकेदार/श्रमिक रात्रि विश्राम आरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं करेंगे।
- 31- कार्य का प्राक्कलन सम्बन्धित प्रधान कार्यालय, नैनीताल में कार्यालय अवधि में देखा जा सकता है।
- 32- निविदादाता द्वारा टेण्डर प्रपत्र/फार्म के साथ आवश्यक अभिलेखों सहित धरोहर राशि 30,000.00 मात्र की धनराशि एन०एस०सी०/सी०डी०आर०/एफ०डी०आर०, जो प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के बन्धक हो, अनिवार्य रूप से जमा किया जाना आवश्यक है। निविदा खुलने के उपरान्त सफल निविदादाता को कुल रू० 1,50,000.00 (रू० 30,000 धरोहर राशि सम्मिलित करते हुये कुल रू० 1,50,000.00) की एन०एस०सी०/एफ०डी०आर० जो प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के नाम बन्धक हो, निविदा स्वीकृत होने के 05 दिवस के भीतर जमा किया जाना आवश्यक होगा। निर्धारित समयावधि के बाद सफल निविदादाता का टेण्डर निरस्त करने तथा द्वितीय स्थान पर सफल निविदादाता को निविदा हस्तांतरित करने का अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
- 33- निविदादाता समस्त देय करों को ध्यान में रखते हुये निविदा में मूल्य अंकित करें। समस्त करों का वहन/भुगतान ठेकेदार द्वारा ही वहन/भुगतान किया जायेगा।
- 34- उक्त प्रपत्रों के साथ जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशनों का छाया प्रति, पैन कार्ड, आधार कार्ड, की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,  
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

पत्रांक :- 974 (1)/ 3-1 ,दिनांकित। 7/10/2011

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य वन संरक्षक कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
- 2- वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
- 3- वन संरक्षक, आई०टी० सेल, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट [www.forest.uk.gov.in](http://www.forest.uk.gov.in) पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 4- प्रभागीय नोटिस बोर्ड।

प्रभागीय वनाधिकारी,  
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।